

पत्रांक-संचिका संख्या-...../15/...../जि०आ०टी०पी०एस०को०
समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(आर० टी० पी० एस०, कोषांग)

आदेश

सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक-5/2029 आ० 01/15-16-41(5)/रा० दिनांक-03.10.2015 के आलोक में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम-2011 के क्रियान्वयन पर होनेवाले आकस्मिक व्यय हेतु 1301-कार्यालय व्यय अधिष्ठापन/ स्टेशनरी मद में कुल-25,11,000=00(पच्चीस लाख ग्यारह हजार) रुपये प्राप्त है, जिसका उपावटन जिला आर०टी०पी०एस० कोषांग के आकस्मिक व्यय हेतु जिला नजारत को एवं सभी अंचलों के पंचायतों की संख्या के मद्देनजर निम्न रूप में किया जाता है।

राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व 104 सरकारी संपदाओं का प्रबंध - 0001 - राजस्व पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-एन-2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में विभागीय स्वीकृत्यादेश -236(10)रा० दिनांक-22.09.2015 के आलोक में 1301- कार्यालय व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड एन० 2029001040001 अन्तर्गत विकलनीय होगा।

क्रमांक	अंचल का नाम	पंचायत की संख्या	उपावटित राशि	क्र०	अंचल का नाम	पंचायत की संख्या	उपावटित राशि
01	जिला आर०टी०पी०एस० कोषांग हेतु जिला नजारत को		50,000=00	16	बनकटवा	10	60,000=00
02	मोतिहारी	20	1,22,000=00				
03	बंजरिया	13	79,000=00	17	पताही	15	91,000=00
04	सुगौली	16	97,000=00	18	फेनहारा	06	36,000=00
05	रामगढ़वा	16	97,000=00	19	चकिया	18	1,09,000=00
06	रक्सौल	13	79,000=00	20	पीपराकोठी	06	36,000=00
07	आदापुर	17	1,03,000=00	21	कोटवा	16	97,000=00
08	छौड़ादानों	15	91,000=00	22	कैसरिया	18	1,09,000=00
09	घोडासहन	14	85,000=00	23	मेहसी	13	79,000=00
10	ढाका	23	1,40,000=00	24	कल्याणपुर	24	1,45,000=00
11	चिरैया	23	1,40,000=00	25	संग्रामपुर	14	85,000=00
12	मधुबन	13	79,000=00	26	अरेराज	14	85,000=00
13	पकड़ीदयाल	09	54,000=00	27	पहाड़पुर	16	97,000=00
14	हरसिद्धि	19	1,15,000=00	28	तेतरिया	09	54,000=00
15	तुरकौलिया	16	97,000=00	कुल पंचायत संख्या-405			कुल मा०- 25,11,000=00 (पच्चीस लाख ग्यारह हजार) रुपये मात्र

- निदेश है कि उपावटित राशि के व्यय उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में की जायगी एवं राशि का व्यय बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम-2011 के कार्यान्वयन हेतु / अधिष्ठापन / स्टेशनरी आदि पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालय एवं जिला कार्यालय हेतु कार्यालय व्यय के कार्यों पर किया जायगा। व्यय के उपरान्त उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला आर० टी० पी० एस० कोषांग को भेजना सुनिश्चित करें।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषांगार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 2 री तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड मांग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।


६०/-
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 216 / दिनांक 21-12-15

प्रतिलिपि:—अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भवदीय पत्रांक-41 (5) रा10 दिनांक-08.10.2015 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—जिला नज़ारत उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण/सभी अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

A handwritten signature in a circle, followed by the date 16/12/15.

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।